राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

संख्याः 187

तिथि : 27.01.2026

प्रेस नोट

विषयः– नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

राज्य अन्तर्गत कुल 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगरपालिकाओं में 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद् एवं 19 नगर पंचायत हैं जिनमें 42 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्ति पर तथा 06 नव गठित सहित नगरपालिकाओं यथा–मेदिनीनगर नगर निगम (वर्ग–ख), हजारीबाग नगर निगम (वर्ग–ख), गिरिडीह नगर निगम (वर्ग–ख), देवघर नगर निगम (वर्ग–ख), धनबाद नगर निगम (वर्ग–क), चास नगर निगम (वर्ग–ख) राँची नगर निगम (वर्ग–क), आदित्यपुर नगर निगम (वर्ग–ख), मानगो नगर निगम (वर्ग–ख), गढ़वा नगर परिषद (वर्ग–ख), विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग–ख), चतरा नगर परिषद (वर्ग–ख), झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग–ख), मधुपुर नगर परिषद (वर्ग–ख), गोड्डा नगर परिषद (वर्ग–ख), साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग–ख), पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग–ख), दुमका नगर परिषद (वर्ग–ख), मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग–ख), चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग–ख), फुसरो नगर परिषद (वर्ग–ख), रामगढ नगर परिषद (वर्ग–क), लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग–ख), गुमला नगर परिषद (वर्ग–ख), सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग–ख), चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग–ख), चाईबासा नगर परिषद (वर्ग–ख), कपाली नगर परिषद (वर्ग–ख), जुगसलाई नगर परिषद (वर्ग–ख), श्रीबंशीधरनगर नगर पंचायत, मझिआंव नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, कोडरमा नगर पंचायत, डोमचाँच नगर पंचायत, बड़कीसरैया नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत, महागामा नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूँटी नगर पंचायत, बुण्डू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत एवं चाकुलिया नगर पंचायत है, जिनमें आम निर्वाचन प्रस्तावित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 243U (1) एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–16(4) के प्रावधानानुसार नगरपालिकाओं के पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व उनके गठन के लिए निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

2. निर्वाचन क्षेत्र :

प्रस्तावित नगरपालिका आम निर्वाचन के अन्तर्गत राज्य के कुल 48 नगरपालिकाओं में 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायतों के कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाना है। उपमहापौर/उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है जिस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। (अनुलग्नक–1)

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार :–

(i) आसन्न नगरपालिका निर्वाचन को प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए कोटिवार आरक्षण एवं आवंटन तथा महिला आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई की गई है तथा

(ii) नगरपालिका निर्वाचन के दृष्टिगत् पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II प्रावधानित किया गया है। तदनुसार वार्ड पार्षद के निर्वाचन हेतु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन का निर्धारण संबंधित नगरपालिकाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर की गई है तथा राज्य अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं के समेकित जनसंख्या के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के लिए महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु पदों का आरक्षण एवं आवंटन निर्धारित किया गया है।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या–3763, दिनांक–19.11.2025 द्वारा राज्य अन्तर्गत नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II की निकायवार एवं वार्डवार जनसंख्या को अभिनिश्चित कर अधिसूचित आँकड़ों का उपयोग आरक्षण एवं आवंटन हेतु किया गया है।

5. मतदाता सूची :

अधिनियम की धारा 538 एवं 555 तथा एतद् नियमावली के नियम 11 से 17 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु दिनांक–01.07.2024 को अर्हत्ता तिथि मानकर दिनांक–27.08.2024 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं दिनांक–01.10.2024 को अर्हत्ता तिथि मानकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु तैयार मतदाता सूची के आधार पर ही नगरपालिका निर्वाचन हेतु वार्डवार विखण्डित करते हुए अंतिम रुप से मतदाता सूची तैयार की गई है।

आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 4333574 है जिनमें पुरूष मतदाता 2207203, महिला मतदाता 2126227 एवं तृतीय लिंग मतदाता 144 शामिल हैं, जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। (अनुलग्नक–2)

6. मतदाताओं की पहचान :

मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है:

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
3. पासपोर्ट
4. ड्राईविंग लाइसेंस
5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पास–बुक
7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
8. आधार कार्ड
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड
12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं।

7. मतदान केन्द्र :

इस निर्वाचन हेतु स्थापित कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 4304 है, जो कुल 2129 भवनों में अवस्थित है। (अनुलग्नक–3)

8. मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएँ :

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश निर्गत किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प, प्रकाश आदि की व्यवस्था की जाएगी।

9. विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती :

निर्वाचन की तैयारी एवं विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु दिनांक–08.01.2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं। विधि–व्यवस्था संधारण हेतु एवं मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में

प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) द्वारा की जा रही है। निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र, मतगणना केन्द्र एवं मतपेटिका को बज्रगृह तक पहुंचाने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की व्यवस्था भी की जाएगी। निर्वाचन के दौरान राज्य में विधि–व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वच्छता के साथ सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जा चुका है एवं सभी व्यवस्था समुचित ढंग से लागू करने हेतु यथा आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

10. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण :

सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों (नगरपालिका) एवं सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत कराने के लिए दिनांक–16.01.2026 को आयोग कार्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। पुनः सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों (नगरपालिका), सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए विशेष गहन प्रशिक्षण दिनांक–22.01.2026 को आयोजित किया गया, जिसमें निर्वाचन से संबंधित विभिन्न तकनीकी जानकारी उन्हें दी गई।

11. सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक :

नगरपालिका निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सामान्य प्रेक्षक एवं अभ्यर्थियों के व्यय पर निगरानी रखने के निमित्त व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी प्रेक्षकों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की प्रक्रिया पर गहन पर्यवेक्षण हेतु समुचित रूप से ब्रीफिंग करते हुए निदेशित किया जा रहा है। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकों से समय–समय पर प्रतिवेदन प्राप्त किये जायेंगे ताकि पूरे निर्वाचन प्रक्रिया पर आयोग द्वारा गहन अधीक्षण एवं नियंत्रण रखते हुए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वच्छता के साथ निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके।

12. मतपत्र एवं मतपेटिका :

आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन मतपत्र एवं मतपेटिका के द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। इस निमित्त संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध करा दिया गया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त को निर्देश दिए जा चुके हैं कि निर्वाचन हेतु समुचित संख्या में मतपेटिका को तैयार रखा जाए एवं मतदान कर्मियों/मतगणना कर्मियों को मतपेटिका के परिचालन हेतु ससमय समुचित प्रशिक्षण दे दिया जाए।

13. पदाधिकारियों का आचरण :

निर्वाचन में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से आयोग यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्णरूपेण निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर करें। इस विषय पर समुचित दिशा–निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके हैं। यदि कोई भी पदाधिकारी/कर्मी निर्वाचन के दौरान निर्वाचन

संबंधी कदाचार के दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध आयोग द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के समुचित कार्रवाई की जाएगी।

14. **कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करना :**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन में भाग लेने पर यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार उन्हें भयभीत करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इस संबध में आयोग द्वारा दिशा–निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त को निर्गत किए जा चुके हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य मतदाता निर्भीक होकर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकें।

15. **मतदान दल और रैण्डमाईजेशन :**

मतदान दलों के गठन एवं उनके रैण्डमाईजेशन के लिए कम्प्युटरीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि रैण्डमाईजेशन हेतु कतिपय कार्य आयोग के प्रेक्षकों की उपस्थिति में ही पूरा किया जाना है।

16. **नोटा (NOTA) :**

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 में नोटा का विकल्प नहीं रहेगा।

17. **आदर्श आचार संहिता :**

आयोग द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सभी 48 नगरपालिकाओं (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) में, जहाँ आम निर्वाचन कराया जाना है, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवृत हो जायेगी।

18. **निर्वाचन प्रक्रम :**

निर्वाचन का प्रक्रम **अनुलग्नक–4** पर संलग्न है। संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त द्वारा प्रपत्र–5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन ससमय किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् विभिन्न प्रक्रमों की तिथियाँ निर्धारित की जा चुकी है।

19. **मतगणना :**

मतदान का कार्य पूरा हो जाने के बाद मतगणना का कार्य निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थल पर पूरा किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केन्द्र एवं बज्रगृह को स्थापित करने हेतु भी समुचित दिशा–निर्देश संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त को पूर्व में ही दिये गए हैं जिसके आलोक में मतगणना केन्द्र एवं बज्रगृह की स्थापना का कार्य किया जा चुका है।

20. निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण :–

अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखा का अनुश्रवण एक अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संबंध में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577 एवं 578 तथा झारखण्ड नगरपालिका (निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) नियमावली, 2015 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। फलतः निर्वाचन में धन–बल के दुरूपयोग को रोकने हेतु आयोग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं तथा आवश्यकतानुसार समुचित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण निम्नरूप में किया गया है :–

स्थानीय शहरी निकाय का प्रकार	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 के अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		महापौर/अध्यक्ष	वार्ड पार्षद
1	2	3	4
नगर निगम	(1) दस लाख एवं उससे अधिक	25 लाख रूपये	5 लाख रूपये
	(2) दस लाख से कम	15 लाख रूपये	3 लाख रूपये
नगर परिषद	(1) एक लाख एवं उससे अधिक	10 लाख रूपये	2 लाख रूपये
	(2) एक लाख से कम	6 लाख रूपये	1.5 लाख रूपये
नगर पंचायत	(1) बारह हजार एवं उससे अधिक तथा चालीस हजार से कम	5 लाख रूपये	1 लाख रूपये

21. वीडियोग्राफी :–

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम निर्देशन दाखिल करना, उनकी संवीक्षा करना, प्रचार–प्रसार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस, मतगणना आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक : अनुलग्नक 1 से 4

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
27/1/26
(राधे श्याम प्रसाद)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: 03नि0–30/2013 रा0नि0आ0 ...187... रॉंची, दिनांक–...27.01.2026...

प्रतिलिपिः– 1. महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव।

2. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार।

3. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार।

4. प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड।

6. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार/अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड सरकार।

7. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त, झारखण्ड।

8. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/26
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, रॉंची।

अनुलग्नक—1

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026

जिलावार नगरपालिकाओं की सूची (वार्डों की संख्या के साथ) जहाँ निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	जिला	नगरपालिका का नाम			कुल नगरपालिका (वार्ड की सं0)
		नगर निगम/कुल वार्ड	नगर परिषद्/कुल वार्ड	नगर पंचायत/कुल वार्ड	
1	गढ़वा	–	गढ़वा नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत–17 मझिऑंव नगर पंचायत–12	3 (50)
2	पलामू	मेदिनीनगर नगर निगम (वर्ग–ख)–35	विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)–20	हुसैनाबाद नगर पंचायत–16 हरिहरगंज नगर पंचायत–16 छत्तरपुर नगर पंचायत–16	5 (103)
3	लातेहार	–	–	लातेहार नगर पंचायत–15	1 (15)
4	चतरा	–	चतरा नगर परिषद (वर्ग–ख)–22	–	1 (22)
5	हजारीबाग	हजारीबाग नगर निगम (वर्ग–ख)–36	–	–	1 (36)
6	कोडरमा	–	झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग–ख)–28	कोडरमा नगर पंचायत–15 डोमचाँच नगर पंचायत–14	3 (57)
7	गिरिडीह	गिरिडीह नगर निगम (वर्ग–ख)–36	–	बड़कीसरैया नगर पंचायत–12 धनवार नगर पंचायत–11	3 (59)
8	देवघर	देवघर नगर निगम (वर्ग–ख)–36	मधुपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)–23	–	2 (59)
9	गोड्डा	–	गोड्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	महागामा नगर पंचायत–17	2 (38)
10	साहेबगंज	–	साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग–ख)–28	राजमहल नगर पंचायत–14 बरहरवा नगर पंचायत–14	3 (56)
11	पाकुड़	–	पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	–	1 (21)
12	दुमका	–	दुमका नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	बासुकीनाथ नगर पंचायत–12	2 (33)
13	जामताड़ा	–	मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग–ख)–20	जामताड़ा नगर पंचायत–16	2 (36)
14	धनबाद	धनबाद नगर निगम (वर्ग–क)–55	चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	–	2 (76)
15	बोकारो	चास नगर निगम (वर्ग–ख)–35	फुसरो नगर परिषद (वर्ग–ख)–28	–	2 (63)
16	रामगढ़	–	रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग–क)–32	–	1 (32)
17	लोहरदगा	–	लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग–ख)–23	–	1 (23)
18	गुमला	–	गुमला नगर परिषद (वर्ग–ख)–22	–	1 (22)
19	खूँटी	–	–	खूँटी नगर पंचायत–19	1 (19)
20	राँची	राँची नगर निगम (वर्ग–क)–53	–	बुण्डू नगर पंचायत–13	2 (66)
21	सिमडेगा	–	सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग–ख)–20	–	1 (20)
22	पश्चिमी सिंहभूम	–	चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)–23 चाईबासा नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	–	2 (44)
23	सरायकेला–खरसावाँ	आदित्यपुर नगर निगम (वर्ग–ख)–35	कपाली नगर परिषद (वर्ग–ख)–21	सरायकेला नगर पंचायत–11	3 (67)
24	पूर्वी सिंहभूम	मानगो नगर निगम (वर्ग–ख)–36	जुगसलाई नगर परिषद (वर्ग–ख)–22	चाकुलिया नगर पंचायत–12	3 (70)
	कुल योगः–	9 (357)	20 (458)	19 (272)	48 (1087)

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026

अनुलग्नक–2

नगरपालिकावार मतदान केन्द्रों,भवनों एवं मतदाताओं की संख्या संबंधी समेकित विवरणी

क्र0 सं0	नगरपालिका का नाम	वार्डों की कुल सं0	मतदान केन्द्रों की कुल सं0	मतदाताओं की संख्या			
				पुरुष	महिला	तृतीय लिंग	कुल
1	2	3	4	13	14	15	16
1	मेदिनीनगर नगर निगम	35	132	65827	63206	1	129034
2	हजारीबाग नगर निगम	36	160	90042	87394	1	177437
3	गिरिडीह नगर निगम	36	137	75266	75725	1	150992
4	देवघर नगर निगम	36	172	92712	86559	7	179278
5	धनबाद नगर निगम	55	974	471279	426624	33	897936
6	चास नगर निगम	35	130	83106	78950	17	162073
7	राँची नगर निगम	53	909	518762	508973	56	1027791
8	आदित्यपुर नगर निगम	35	136	70839	69049	1	139889
9	मानगो नगर निगम	36	190	99453	97326	12	196791
	नगर निगम का योग	357	2940	1567286	1493806	129	3061221
10	गढ़वा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	17570	16777	0	34347
11	विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	38	17515	16443	0	33958
12	चतरा नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	42	17719	16546	1	34266
13	झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग–ख)	28	68	36371	35594	3	71968
14	मधुपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	46	22065	22193	0	44258
15	गोड्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	37	17615	17316	0	34931
16	साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग–ख)	28	67	35565	33599	0	69164
17	पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	17792	17294	0	35086
18	दुमका नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	20738	20001	0	40739
19	मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	39	18611	18442	3	37056
20	चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	18639	18367	0	37006
21	फुसरो नगर परिषद (वर्ग–ख)	28	65	33292	31790	0	65082
22	रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग–क)	32	98	49238	48460	0	97698
23	लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	46	21027	22043	0	43070
24	गुमला नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	44	16819	18763	0	35582
25	सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	37	14891	16081	0	30972
26	चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	49	22205	23054	6	45265
27	चाईबासा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	38	18200	18228	0	36428
28	कपाली नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	31	16509	17257	1	33767
29	जुगसलाई नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	41	22429	21809	1	44239
	नगर परिषद का योग	458	954	454810	450057	15	904882
30	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत	17	30	13749	13197	0	26946
31	मझिआँव नगर पंचायत	12	17	7757	7509	0	15266
32	हुसैनाबाद नगर पंचायत	16	29	12287	11956	0	24243
33	हरिहरगंज नगर पंचायत	16	23	11362	11120	0	22482
34	छत्तरपुर नगर पंचायत	16	24	11279	10974	0	22253
35	लातेहार नगर पंचायत	15	22	11044	9534	0	20578
36	कोडरमा नगर पंचायत	15	25	11047	11186	0	22233
37	डोमचाँच नगर पंचायत	14	21	9767	9960	0	19727
38	बड़कीसरैया नगर पंचायत	12	15	7555	6881	0	14436
39	धनवार नगर पंचायत	11	14	6315	6081	0	12396
40	महागामा नगर पंचायत	17	27	10015	9640	0	19655
41	राजमहल नगर पंचायत	14	19	9409	9080	0	18489
42	बरहरवा नगर पंचायत	14	20	9785	9568	0	19353
43	बासुकीनाथ नगर पंचायत	12	19	7127	7127	0	14254
44	जामताड़ा नगर पंचायत	16	28	13165	13302	0	26467
45	बुण्डू नगर पंचायत	13	16	8168	8457	0	16625
46	खूँटी नगर पंचायत	19	30	13672	15047	0	28719
47	सरायकेला नगर पंचायत	11	13	5410	5352	0	10762
48	चाकुलिया नगर पंचायत	12	18	6194	6393	0	12587
	नगर पंचायत का योग	272	410	185107	182364	0	367471
	कुल योग	**1087**	**4304**	**2207203**	**2126227**	**144**	**4333574**

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026

अनुलग्नक–3

नगरपालिकावार मतदान केन्द्रों,भवनों एवं संवेदनशीलता संबंधी समेकित विवरणी

क्र0 सं0	नगरपालिका का नाम	वार्डों की कुल संख्या	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	भवनों की कुल संख्या	सामान्य		संवेदनशील		अतिसंवेदनशील	
					मतदान केन्द्रों की संख्या	भवनों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	भवनों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेदिनीनगर नगर निगम	35	132	82	14	11	105	63	13	8
2	हजारीबाग नगर निगम	36	160	77	1	1	105	51	54	25
3	गिरिडीह नगर निगम	36	137	79	0	0	41	24	96	55
4	देवघर नगर निगम	36	172	90	0	0	166	87	6	3
5	धनबाद नगर निगम	55	974	471	158	77	647	324	169	70
6	चास नगर निगम	35	130	54	29	12	39	17	62	25
7	राँची नगर निगम	53	909	262	271	84	510	138	128	40
8	आदित्यपुर नगर निगम	35	136	60	4	3	67	32	65	25
9	मानगो नगर निगम	36	190	68	71	30	105	32	14	6
	नगर निगम का योग	357	2940	1243	548	218	1785	768	607	257
10	गढ़वा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	26	22	14	16	10	4	2
11	विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	38	22	8	4	21	13	9	5
12	चतरा नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	42	26	20	12	22	14	0	0
13	(वर्ग–ख)	28	68	34	31	11	37	23	0	0
14	मधुपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	46	38	5	5	41	33	0	0
15	गोड्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	37	22	7	4	15	10	15	8
16	साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग–ख)	28	67	52	17	13	43	34	7	5
17	पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	28	32	23	6	3	4	2
18	दुमका नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	23	5	2	19	11	18	10
19	मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	39	20	10	5	23	12	6	3
20	चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	42	32	40	31	2	1	0	0
21	फुसरो नगर परिषद (वर्ग–ख)	28	65	42	10	6	36	25	19	11
22	रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग–क)	32	98	60	36	24	47	28	15	8
23	लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	46	40	0	0	31	26	15	14
24	गुमला नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	44	26	0	0	23	13	21	13
25	सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग–ख)	20	37	29	10	6	27	23	0	0
26	चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग–ख)	23	49	27	2	2	32	16	15	9
27	चाईबासा नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	38	21	7	4	11	6	20	11
28	कपाली नगर परिषद (वर्ग–ख)	21	31	21	0	0	0	0	31	21
29	जुगसलाई नगर परिषद (वर्ग–ख)	22	41	17	3	1	18	5	20	11
	नगर परिषद का योग	458	954	606	265	167	470	306	219	133
30	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत	17	30	18	24	15	6	3	0	0
31	मझिआँव नगर पंचायत	12	17	12	4	2	9	7	4	3
32	हुसैनाबाद नगर पंचायत	16	29	20	21	13	8	7	0	0
33	हरिहरगंज नगर पंचायत	16	23	16	0	0	5	3	18	13
34	छत्तरपुर नगर पंचायत	16	24	17	22	16	2	1	0	0
35	लातेहार नगर पंचायत	15	22	17	0	0	11	8	11	9
36	कोडरमा नगर पंचायत	15	25	14	0	0	25	14	0	0
37	डोमचाँच नगर पंचायत	14	21	14	21	14	0	0	0	0
38	बड़कीसरैया नगर पंचायत	12	15	10	8	4	6	5	1	1
39	धनवार नगर पंचायत	11	14	8	0	0	14	8	0	0
40	महागामा नगर पंचायत	17	27	21	10	8	12	9	5	4
41	राजमहल नगर पंचायत	14	19	11	5	3	9	5	5	3
42	बरहरवा नगर पंचायत	14	20	16	0	0	17	13	3	3
43	बासुकीनाथ नगर पंचायत	12	19	14	16	12	3	2	0	0
44	जामताड़ा नगर पंचायत	16	28	16	4	3	16	9	8	4
45	बुण्डू नगर पंचायत	13	16	13	15	12	1	1	0	0
46	खूँटी नगर पंचायत	19	30	20	0	0	27	18	3	2
47	सरायकेला नगर पंचायत	11	13	11	0	0	13	11	0	0
48	चाकुलिया नगर पंचायत	12	18	12	0	0	6	4	12	8
	नगर पंचायत का योग	272	410	280	150	102	190	128	70	50
	कुल योग	**1087**	**4304**	**2129**	**963**	**487**	**2445**	**1202**	**896**	**440**

अनुलग्नक–4

निर्वाचन प्रक्रम
नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026

1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र–5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि (पूर्वाह्न 11:00 बजे)	:	28.01.2026 (बुधवार)
2	नाम निर्देशन करने के लिए तिथि (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	:	29.01.2026 (गुरुवार) से 04.02.2026 (बुधवार) तक
3	नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	:	05.02.2026 (गुरुवार.)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	:	06.02.2026 (शुक्रवार)
5	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	:	07.02.2026 (शनिवार)
6	वह तिथि जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा (प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	:	23.02.2026 (सोमवार)
7	मतगणना की तिथि (प्रातः 8:00 बजे से)	:	27.02.2026 (शुक्रवार)

27/1/26

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।